1/38641/2022

संख्या /उन्तीस(2)/2022–2(89पे0)/2018

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 27 मई, 2022**

विषय :– Schemes for Special Assistance to States for Capital Expenditure के अन्तर्गत 04 कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–I/26769/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के अन्तर्गत 04 कार्यो की स्वीकृति के क्रम में ₹ 48.00 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में अवमुक्त की गयी थी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त धनराशि आहरित नहीं की जा सकी।

2– अतः उक्त शासनादेश संख्या–I/26769/2022 दिनांक 31.03.2022 को निरस्त करते हुए वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–327/09(150)2020/XXVII(1)/2022 दिनांक 26.05.2022 के अनुसार भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure के अन्तर्गत 04 कार्यो की स्वीकृति के क्रम में ₹ 47.97 करोड़ (₹ सैंतालीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र) में से 03 कार्यो हेतु (सूची संलग्न) ₹ 46.56 करोड़ (₹ छियालीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता कार्य पर व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित कार्यो पर ही व्यय किया जाय। भारत सरकार की स्वीकृति से भिन्न कार्यो पर व्यय होने का सम्पूर्ण उत्तदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(iii) उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स–2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 27/05/2022 05:45 PM

(iv) सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबन्धित संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/ एम0ओ0यू0 में भुगतान निहित शर्तो के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(v) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन योजनाओं/कार्यो हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा।

(vi) भारत सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कार्यो पर ही स्वीकृत लागत के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने की समयावृद्धि भारत सरकार को मान्य व्यवस्था अनुसार प्राप्त कर लेने व उसी समयावधि में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति विशेष की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में ली गयी सभी दरों का दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा उन दरों को बाजार भाव से अथवा कान्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आगणन में दरें अनुमन्य होगी।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण GFR- 2017 के फार्म–12B के प्रारूप पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(xi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(xii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xiii) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तो यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद निर्माण कार्य' के नामें डाला जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में उक्त धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 22050070070 दिनांक 27.05.2022 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/9(150)2019 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 27/05/2022 05:45 PM

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्त अनुभाग—01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 327/09(150)2020/XXVII(1)/2022 दिनांक 26.05.2022 में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक—यथोपरि</u>

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 27-05-2022 17:37:22
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 (1)/उन्तीस(2)/2022—2(89पे0)/2018 तददिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 27-05-2022 17:43:23
(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 27/05/2022 05:45 PM

I/38653/2022

I/3864/2022

शासनादेश संख्या /उन्तीस(2)/2022–2(89पे0)/2018 का संलग्नक

;ेण् पद ब्तवतमद्ध

S. No.	Name of Project	Location (District)	Capital Outlay (Demand of funds)
01	02	03	04
01	Mussoorie Sewerage Reorganization	Dehradun	10.22
02	Supplementary D.P.R. Of Remaining works of Dehradun city sewerage works	Dehradun	30.66
03	NIT Sumadi Water Supply Scheme	Pauri	5.68
	Total		**46.56**

Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 27-05-2022 17:44:09
(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।